राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3005/2023

सरोज कुमारी मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खेतड़ी, नीमकाथाना।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 19.10.2023
आदेश की दिनांक : 27.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्रीमती मेघना कुमावत, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी ने अपील में यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी का बकाया वेतन माह अगस्त, 2022 से वेतन दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उप केन्द्र टीबा खेतड़ी, नीमकाथाना में कार्यरत हैं। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 03.08.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप केन्द्र, कांतली, जिला सीकर से उप केन्द्र टीबा खेतड़ी, नीमकाथाना किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 12.08.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए प्रत्यर्थी संख्या–2 के आदेश दिनांक 13.07.2023 की पालना प्रत्यर्थी संख्या–3 के द्वारा आदेश दिनांक 14.07.2023 द्वारा वर्तमान पदस्थापन स्थान से निदेशालय चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर के लिए कार्यमुक्त किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने माननीय अधिकरण में अपील संख्या 1868/2023 दायर की गई, जिसमें माननीय

अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 25.07.2023 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी के संबंध में उक्त दोनों कार्यमुक्ति आदेश को अपास्त किया गया। अपीलार्थी ने अगस्त, 2022 से आज दिनांक तक का बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 12.09.2022 वे 12.06.2023 (अनुलग्नक–5) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, लेकिन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में दायर अपील संख्या 1975/2023 डॉ साधना गुप्ता बनाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.09.2023 (अनुलग्नक–6) द्वारा बकाया वेतन दिए जाने के आदेश जारी किए है। अपीलार्थी का प्रकरण भी उक्त तथ्यों पर आधारित है।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित अगस्त, 2022 से आज दिनांक तक का वेतन दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उप केन्द्र टीबा खेतड़ी, नीमकाथाना में कार्यरत है तथा आदेश दिनांक 03.08.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण उप केन्द्र, कांतली, जिला सीकर से उप केन्द्र टीबा खेतड़ी, नीमकाथाना किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 12.08.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को अगस्त, 2022 से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का वेतन किसी भी रिक्त पद से आहरित किया जावे तथा पूर्व का बकाया वेतन भी अपीलार्थी को एक माह की अवधि प्रदान की जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य